



विद्यालय का नियम

1- विद्यालय का नियम

- 1-विद्यार्थी का समय एवं अध्ययन के प्रति समयबद्ध एवं नियमित होना आवश्यक है। अभिभावक द्वारा लिखित पत्र के अतिरिक्त कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा एक माह में केवल गम्भीर परिस्थितियों में दो अवकाश ही स्वीकृत किये जायेंगे।
2. यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से विद्यापीठ में अनुपस्थित रहा है तो जब वह विद्यालय में आये तो अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र अवश्य साथ लेकर आये, अन्यथा विद्यार्थी को घर वापिस भेजा जा सकता है जिसकी विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
3. यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वाद में अनुपस्थित रहता है तो उसे घर वापस भेज दिया जायेगा। अन्यथा उसे घर से प्रथम वाद में अनुपस्थित रहने का अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र भेजना होगा।
4. किसी भी विद्यार्थी की अनियमित अनुपस्थिति, निष्क्रिय प्रवृत्ति, अवज्ञा, तथा विद्यालय की नैतिकता एवं आचरण भंग करना आदि विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने के पर्याप्त कारण हैं। विद्यालय परिसर के अन्दर विद्यार्थी अपने आचरण के लिए विद्यालय प्रशासन के समक्ष उत्तरदायी होगा। विद्यार्थी का विद्यालय में आम जनता में तथा बसों आदि में दुराचरण उसके विद्यापीठ से निष्कासन का कारण बन सकता है।
5. विद्यालय परिसर के अन्दर शोर मचाना, अनाधिकृत रूप से दौड़ना या खेलना वर्जित है।
6. अनुचित साहित्य पुस्तकें एवं वस्तुएं विद्यालय में लाना या विद्यालय के निकट अनाधिकृत विक्रेता से खाद्य पदार्थ खरीदना सख्त मना है। ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी ।
7. प्रधानाचार्या अथवा कक्षाध्यापक की पूर्व आज्ञा के बिना विद्यालय परिसर से बाहर जाना पूर्णतः वर्जित है।
8. कोई भी विद्यार्थी रूपयों पैसों अथवा कीमती सामान जैसे कीमती घड़ी, सोने के आभूषण आदि विद्यालय में लेकर न आये इनके खो जाने पर विद्यालय किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
9. विद्यालय परिसर में की गई छोटी या बड़ी क्षति बर्दाशत नहीं की जायेगी। ऐसे अपराधी विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। क्षति का प्रतिफल छात्र के माता-पिता को वहन करना पड़ेगा।
10. प्रधानाचार्या की पूर्व आज्ञा के बिना किसी प्रकार का अर्थदण्ड अथवा किसी अन्य उद्देश्य से कोई धनराशि एकत्र नहीं की जायेगी।

11. अध्यापक की कक्षा में अनुपस्थिति के समय विद्यार्थी कक्षा में शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे। सभी छात्र-छात्रायें अधिकृत विद्यार्थी (मॉनीटर) की आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
12. सभी विद्यार्थी खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपेक्षित हैं। सक्रिय प्रतियोगी को उचित इनाम दिया जायेगा।
13. जब विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर जाते हैं तो वे चुपचाप अनुशासित ढंग से जायेंगे।
14. अनुशासनहीनता, अध्यापकों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के प्रति प्रदर्शित अभद्रता रूढ़ता को गम्भीरता से लिया जायेगा। इस प्रकार के दुराचरण के लिए उत्तरदायी विद्यार्थी का विद्यापीठ से निष्कासन कर दिया जायेगा।
15. प्रधानाचार्या को किसी प्रकार का दण्ड कम अथवा समाप्त करने का अधिकार होगा ।
16. विद्यालय परिसर में सभी छात्र-छात्राओं से हिंदी में बोलने की अपेक्षा की जाती है।
17. विद्यालय में तथा विद्यालय कार्यक्रमों में प्रतिदिन निर्धारित पोशाक पहनकर ही आना होगा।

2- स्कूल के नियम और विनियम

1- हाजी इलियास इण्टर कालेज उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध है। यह एक सह-शिक्षा संस्थान है जहाँ शिक्षा और संचार का माध्यम हिन्दी है।

3- समय की पाबंदी:

1- छात्रों को प्रातः प्रार्थना में उपस्थित होने के लिए समय पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित होना होगा। अन्यथा कक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा ।

2- उपस्थिति **नियमितता** आवश्यक है। जो छात्र एक या दो दिन के लिए अनुपस्थित हैं, उन्हें अपने माता-पिता/अभिभावक द्वारा भरी गई डायरी में छुट्टी का रिकॉर्ड रखना चाहिए और इसे स्कूल में शामिल होने वाले दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। बीमारी की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। ऐसा न करने पर छात्र को पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने तक अनुपस्थित माना जाएगा। अन्य किसी अवकाश की अनुमति नहीं दी गयी है। छात्रों को स्कूल समय के दौरान स्कूल परिसर छोड़ने की सख्त मनाही है। एक बार जब कोई छात्र स्कूल में होता है, तो उसे पूरे दिन उपस्थित रहना होता है। किसी भी आधार पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। वहीं, अगर कोई छात्र बीमार है तो मूल्यांकन होने पर भी माता-पिता को उसे स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बच्चे का स्वास्थ्य सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए।

3- U.P.Board के मानदंडों के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है (संदर्भ : बोर्ड के परीक्षा उपनियमों का नियम 13)

3-वर्दी (ड्रेस)

वर्दी: छात्रों को उचित स्कूल पोशाक पहनकर स्कूल आना चाहिए, वर्दी, जूते और अन्य सभी वस्तुओं पर छात्र के नाम और कक्षा का लेबल साफ-साफ लिखा होना चाहिए। साधारण घड़ियाँ विद्यार्थी पहन सकते हैं। स्कूल में ट्रिंकेट, आभूषण, नेल पॉलिश और मेहंदी सख्त वर्जित हैं।

लड़कियाँ:

1-नेवी ब्लू कमीज, सफेद सलवार व सफेद दुपट्टा।

2- या सफेद शर्ट, नेवी ब्लू स्कर्ट (घुटना छुपा हो) व स्कर्ट के नीचे नेवी ब्लू रंग का लेगी अनिवार्य है।

3- सर्दियों में, नेवी ब्लू कमीज, सफेद सलवार व सफेद दुपट्टा नेवी ब्लू जैकेट या ब्लेज़र और नेवी ब्लू ऊनी टोपी (जिसमें कान ढका होना चाहिए)।

4- छोटे बालों के लिए काला हेयर बैंड; कंधे की लंबाई के बालों को काले नायलॉन हेयर बैंड के साथ पोनी टेल में बांधा जाना चाहिए; लंबे बालों को करीने से गुंथकर काले नायलॉन हेयर बैंड से बांधा जाए।

5- निर्धारित काला जूता व सफेद मोज़े।

6- केवल काले हेयर बैंड का उपयोग करना है।

7- कोई महँगा आभूषण नहीं होना चाहिए।

लड़के:

1- सफेद शर्ट व नेवी ब्लू पैंट।

2- साफ़ छोटे बाल (मशरूम या अन्य स्टाइलिश कट की अनुमति नहीं)।

3- काले जूते व सफेद मोज़ा और बेल्ट निर्धारित।

4- सर्दियों में, सफेद शर्ट व नेवी ब्लू पैंट; नेवी ब्लू जैकेट या ब्लेज़र और नेवी ब्लू ऊनी टोपी (जिसमें कान ढका होना चाहिए)।

4- स्कूल की संपत्ति का रखरखाव

1- स्कूल की संपत्ति और स्कूल के सामानों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है।

2- कक्षा कक्ष में विद्यालय की संपत्ति को सामूहिक क्षति होने की स्थिति में संपूर्ण कक्षा से क्षति की लागत वसूल की जाएगी। अपने आस-पास को साफ-सुथरा रखने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण रखना चाहिए। सभी बेकार कागज़ों को उठाकर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए।

3- छात्रों को बिना क्लास आउट-पास और शिक्षक की अनुमति के बिना कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं है। विद्यार्थियों

- को इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए कि किसी भी बच्चे को परेशानी न हो।
- 4- विद्यार्थी को हर समय सभ्य भाषा में बात करनी चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका भाषण विनम्र और विनम्र हो।
- 5- प्रत्येक छात्र को स्कूल में प्रत्येक दिन स्कूल का पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है।
- 6- विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय-सारिणी के अनुसार पुस्तकें लाएँ।
- 7- छात्रों को स्कूल के शिक्षकों से निजी ट्यूशन प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
- 8- परीक्षा देते समय प्रत्येक विद्वान को पूरी ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए।
- 9- हिन्दी हममें से अधिकांश के लिए प्रथम भाषा है, लेकिन यह शिक्षा का एक माध्यम भी है। बोली जाने वाली हिन्दी में दक्षता हासिल करने के लिए, सभी छात्रों को स्कूल में (और जहां तक संभव हो घर पर) **अनिवार्य रूप से हिन्दी में बातचीत करनी चाहिए ।**
- 10- एक छात्र को स्टाफ के सभी सदस्यों के प्रति उचित शिष्टाचार और सम्मान रखना चाहिए। बड़ों का सम्मान और कनिष्ठों के प्रति स्नेह भाव को अच्छी तरह विकसित करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह स्कूल का नाम और सम्मान बरकरार रखे।
- 11- छात्रों को बदमाशी और रैगिंग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत शिक्षकों को देनी चाहिए ।

5- निषिद्ध व्यवहार:

- 1- अनियमित उपस्थिति, अनुचित या अस्पष्ट अनुपस्थिति, आदतन देर से आना, बिना अनुमति के स्कूल परिसर छोड़ना, अवज्ञा और किसी भी प्रकार का अनियंत्रित और आपत्तिजनक व्यवहार।
- 2- लिखना, खरोंचना, भित्तिचित्र उकेरना, चित्र बनाना और स्याही छिड़कना या स्कूल की दीवारों, फर्नीचर और संपत्ति को विरूपित करना।
- 3- स्कूल की संपत्ति पर किसी भी प्रकार के स्टिकर और पोस्टर चिपकाना।
- 4- अभद्र एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग।
- 5- होमवर्क की उपेक्षा, कर्मचारियों के सदस्यों के प्रति अवज्ञा और अनादर या बुरा नैतिक प्रभाव।
- 6- परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग हेतु संसाधन।
- 7- किसी भी समय शोर मचाना, जोर-जोर से बात करना, चिल्लाना, उपहास करना, हैक करना, हूटिंग करना, नाम पुकारना, बिल्ली की आवाज निकालना, फुफकारना, मजाक उड़ाना और सीटी बजाना।

8- बदमाशी और रैगिंग की किसी भी घटना में भाग लेना।

9- प्रतिबंधित क्षेत्रों, मैदान, खाली कक्षा कक्षों, एकांत क्षेत्रों, इमारतों के पीछे (जब कक्षा चल रही हो और बिना अनुमति के) में रहना।

10- प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना धन, अंशदान और चंदा एकत्र करना।

11- प्रधानाचार्य, अध्यापक व चपरासी के साथ अभद्र या अनुचित व्यवहार करना।

प्रतिबंधित सामान:

1- ट्रिंकेट, आभूषण, मेहंदी या टैटू।

2- आपत्तिजनक साहित्य या महँगी वस्तुएँ।

3- सेल फोन, आईपॉड, सीडी, डीवीडी, ई-गेम्स, पेन ड्राइव, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, अश्लील सामग्री आदि।

4- पटाखे, आतिशबाजी और कोई अन्य ज्वलनशील सामग्री।

5- स्कूल में वितरण हेतु किसी भी प्रकार का उपहार, यहाँ तक कि जन्मदिन पर भी। हालाँकि, छात्र अपने जन्मदिन पर टॉफी (मूल्य 5 रुपये से अधिक नहीं) वितरित कर सकते हैं अन्यथा इसे वापस लौटा दिया जाएगा।

6- खिलौने, कोई खतरनाक उपकरण, तंबाकू उत्पाद, मादक पेय, च्यूइंग गम, प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ।